

आदेश ब इजलास प्रकारा राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 880/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय छठी मंजिल, डी-231/232, एसडीसी टावर, नियर
आन्नपाली, सर्किल, हनुमान नगर, वैशाली नगर, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. मदन मोहन पुत्र श्री बंसती लाल

पता - ए-19 ए 20, जय माता वैष्णव नगर, ग्राम जयसिंहपुरा, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर।

एवम प्लेट नम्बर एल ए 601, गोविंदम जयसिंहपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

2. टीना शर्मा पुत्री/पत्नी मदन मोहन

पता - ए-19 ए 20, जय माता वैष्णव नगर, ग्राम जयसिंहपुरा, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation
and Reconstruction of Financial Assets and
Enforcement of Security Interest Act, 2002.

उपस्थित :- श्री प्रमोद कुमार अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 23.01.2023


- संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि पूनावाला हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड (पूर्व में मेग्मा हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड) द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 31.12.2018 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमति टीना शर्मा के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लेट नम्बर एलए-601, गोविंदम जयसिंहपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर कुल क्षेत्रफल 429.80 वर्गफीट को बन्धक रख कर 12,25,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 22.10.2021 को रजिस्टर्ड/कोरियर से नोटिस जारी किये। तत्पश्चात दिनांक 23/3/2022 को प्रार्थी बैंक को असाईन कर दिया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
- प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
- पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगण को कुल राशि 12,25,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन.पी.ए

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 12,57,899/- रुपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 22.10.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमति टीना शर्मा के स्वामित्व की सम्पत्ति फ्लेट नम्बर एलए-601, गोविंदम जयसिंहपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर कुल क्षेत्रफल 429.80 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हों। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

आदेश आज दिनांक 23.01.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।


(प्रकाश राजपुरोहित)

जिला नजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

